औद्योगिक अनुमतियों में बेवजह देरी पर जुर्माना भरेंगे अफसर!

निवेश प्रक्रिया को और सहज बनाने के लिए सिंगल विंडो ऐक्ट में प्रावधान करेगी सरकार

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

यूपी में निवेश के मेगा लक्ष्य को हासिल करने के लिए योगी सरकार उसके रास्ते के हर कांटे को दूर करने में लगी है। इस कड़ी में औद्योगिक परियोजनाओं से जुड़ी अनुमति की प्रक्रिया को और समयबद्ध व जवाबदेह बनाने के लिए नया कानून लाया जा रहा है। इस कानून में बेवजह देरी करने वाले अफसरों के खिलाफ जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव है।

पिछले 8 साल में यूपी में करीब ₹45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। वहीं, ₹15 लाख करोड़ के प्रस्ताव जमीन पर उतारे जा चुके हैं। सरकार साल के आखिर में अगली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और उसके बाद एक और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इसमें 2023 में आए ₹40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों के मुकाबले दोगुना निवेश प्रस्ताव हासिल करने का लक्ष्य है इसलिए नीति से लेकर कानून के स्तर पर सारी प्रक्रियाओं को और पारदर्शी और निवेश के अनुकूल बनाने की कवायद तेज

कर दी गई है। सिंगल विंडो सिस्टम को और प्रभावी बनाने के लिए औद्योगिक विभाग सिंगल विंडो अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है।

सभी अनुमतियों के लिए एक ही आवेदन पत्र : सूत्रों का कहना है कि प्रस्तावित कानून मे अलग-अलग अनुमतियों एवं विभागीय प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग आवेदन एवं विंडो की प्रक्रिया खत्म की जाएगी। एक संयुक्त आवेदन प्रपत्र तैयार किया जाएगा। इसके माध्यम से ही सभी विभागों से जुड़ी अनुमति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यदि प्राधिकारी या संबंधित तय समय सीमा में निर्णय नहीं लेता है तो स्वतः अनुमति मान ली जाएगी। इसको भी कानूनी जामा पहनाया जाएगा। प्रस्तावित अधिनियम में बेवजह प्रक्रियात्मक विलंब करने वाले अधिकारी की जवाबदेही तय करने का प्रस्ताव है। इसके लिए उस पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।

सेल्फ डिक्लेरेशन पर मिलेगी अनुमति

कई बार कोई प्रॉजेक्ट शुरू करने में स्थापना पूर्व की अनुमतियों में काफी वक्त लग जाता है। इन्वेस्ट यूपी में हाल में ही उसके तत्कालीन सीईओ पर ऐसे ही मामलों में कार्रवाई भी की गई है। पूर्व के अनुभवों को देखते हुए प्रस्तावित कानून में सेल्फ डिक्लेरेशन के जरिए अनुमति का प्रावधान जोड़ा जा रहा है। उद्यमी अलग-अलग औपचारिकताओं के बारे में निर्धारित प्रारूप पर सेल्फ डिक्लेरेशन देगा और उसके आधार पर परियोजना को अनुमति मिल जाएगी।

अंतर्विभागीय समन्वय भी होगा बेहतर : प्रस्तावित कानून में अंतर्विभागीय समन्वय को और बेहतर बनाने की भी रास्ता खोला जाएगा, जिससे विभागों की पेचीदगी व आपसी अहम का शिकार निवेशक को न होना पड़े। इसलिए, यह भी प्रस्ताव किया जा रहा है कि जहां पर निवेश से जुड़े किसी विषय को लेकर राज्य का कोई और कानून विरोधाभासी है तो वहां प्रस्तावित कानून के ही बिंदु लागू होंगे। इससे अंतर्विभागीय विलंब व अंतर्विरोध की संभावना समाप्त हो सकेगी। निर्णय के लिए जिला, राज्य व शीर्ष स्तर पर अलग-अलग समिति बनेगी, जिससे आवश्यक अधिकार दिए जाएंगे। समिति निवेशकों के सुझाव व अनुभवों के आधार पर आगे भी प्रक्रियागत सुधार के लिए कदम उठाती रहेगी।